न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–01, गंगापुर सिटी,
जिला–सवाई माधोपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी: रेशमा खान (लिंक अधिकारी)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 234/2026
सी.एन.आर. नंबर– RJSM070007252026

1. युसुफ उर्फ बोबी उर्फ बच्चा पुत्र बब्बू खान उम्र 23 साल, निवासी चूली की बगीची थाना गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर, राज.।
2. आशिक उर्फ तबाही पुत्र असलम खान, उम्र 19 साल, निवासी चूली की बगीची थाना गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर, राज.।
3. सोहिल उर्फ काली पुत्र शहजाद उम्र 19 साल, निवासी एकता कोलोनी महुकलां, थाना गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर, राज.।

––––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, गंगापुर सिटी।

––––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अन्तर्गत धारा–483 BNSS
FIR No. 128/2026, पुलिस थाना गंगापुरसिटी
अपराध अन्तर्गत धारा 115(2),126(2), 324(4),308(2),331(6),3(5) BNS

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या	प्रथम
घटना की दिनांक	06.05.2026 से 07.05.2026 तक
अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की दिनांक	02.06.2026

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री नवीन कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3. श्री भानु कुमार सिंहल, अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

आदेश

दिनांक : 05.06.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 BNSS पेश किया गया। जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई।

दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिए कि प्रार्थी के विरूद्ध यह प्रकरण झूंठा दर्ज करवाया गया है। परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह घटना का समय रात्रि 8 बजे का बताया है, जबकि उस वक्त कोई घटना ही घटित नहीं हुई थी, पुलिस के अनुसार घटना 2 बजे की बताई है, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी ने झूंठे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवायी है। परिवादी पक्ष के किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं है, सभी चोट साधारण प्रकृति की हैं, मुकदमे को गैरजमानती बनाने के लिए दुकान में घुसना बताया है। परिवादी ने मुकदमे को संगीन बनाने के लिये चोरी का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने उक्त चोरी के आरोप को झूंठा माना है। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने एक्सटोरशन का आरोप लगाया गया है, जबकि किसी प्रकार का गिबिन या टेकन की साक्ष्य नहीं है, जिससे यह अपराध भी साबित नहीं है।

प्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में कसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अधिक समय तक हिरासत में रहने से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व उसके परिवार की सख्त आर्थिक बर्बादी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा गवाहान को डराने धमकाने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कहीं भागने या फरार होने का भी कोई अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण तथा अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 115(2),126(2), 324(4),308(2),331(6),3(5) BNS** प्रमाणित पाया जा चुका है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। केस डायरी में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना जाहिर किया–

क्र.सं.	एफआईआर नंबर व पुलिस थाना	अपराध अन्तर्गत धारा	चार्जशीट नंबर मय दिनांक	विवरण
–	–	–	–	–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि एक रिपोर्ट तहरीरी मुस्तगीस विनोद अग्रवाल ने उपस्थित थाना गंगापुरसिटी होकर इस आशय की पेश की कि उसकी बजरिया गंगापुर सिटी में दुकान है। दिनांक 6.5.2026 व दिनांक 7.5.2026 की दरम्यानी रात को 2 बजे उसकी दुकान पर बॉबी पुत्र बब्बू, आशिक पुत्र असलम व सोहेल पुत्र नामालुम निवासी चूली की बगीची अपने एक अन्य साथियो के साथ आयें तथा नशे के लिये पैसे मांगने लगे। उसके पुत्रों प्रखर अग्रवाल व पुनीत अग्रवाल द्वारा समझाने पर उक्त चारों जने लडाई झगडे और मारपीट पर उतारु हो गये तथा उसकी दुकान में घुसकर उसके पुत्रों के साथ लोहे की रोड, कुल्हाडी से मारपीट करने लगे। उक्त मुलजिमान के पास देशी कट्टा भी था। जिससे उसके को व उसके पुत्रों को मृत्यु के भय में डालकर दुकान के गल्ले से लगभग दस हजार रुपये बनियत चोरी के निकाल ले गये। जाते जाते उक्त चारों जने उसके को व उसके पुत्रों को धमकी व फौश गालियां देकर गये कि घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी तो जान से खत्म कर देंगे। उसके पुत्र प्रखर के सिर में उक्त मारपीट से चार टांके आये है तथा पुनीत के पीठ पर व पेट पर लोहे की रोड की चोटे आयी है व दोनो अभी सरकारी अस्पताल गंगापुर सिटी में इलाजरत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर उक्त मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना गंगापुरसिटी पर FIR No. 128/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2),126(2),308(2),303(2),3(5) BNS में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दिनांक **02.06.2026** को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का धारा 480 बी.एन.एस. का जमानत आवेदन न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुरसिटी द्वारा दिनांक **03.06.2026** को खारिज किया जा चुका है।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा 115(2),126(2), 324(4), 308(2), 331(6), 3(5) BNS** का अपराध प्रमाणित पाया जाना दर्शित किया गया है। केस डायरी तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा धारा **23(2) बीएसए** की इत्तला से घटना में प्रयुक्त वाहन स्कूटी एक्टिवा रजिस्ट्रेशन नंबर आर जे 25 एसएल 0588 व घटना में प्रयुक्त तीन लाठियों को जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया जाना तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की निशादेही से घटना कारित करने वाले घटनास्थल का तस्दीक नक्शामौका कसीद कर शामिल पत्रावली किया जाना कथित किया गया है।

केस डायरी में संलग्न प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के पूछताछ नोट में दिनांक 06–07.05.2026 को रात्री के करीब 2–3 बजे की बात होना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का युसुफ की स्कूटी लेकर बर्थडे में जाना, जहां पर उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक व शराब पिया जाना, उनके खाना नहीं खाने पर तीनों द्वारा युसुफ की स्कूटी लेकर रेल्वे स्टेशन बजरिया से सिगरेट, गुटखे व सब्जी रोटी लेने आना, कृष्णा होटल के कृष्णा शर्मा से रोटी सब्जी मांगने पर मना करने पर उससे कहासुनी होना, उसके बाद उनके द्वारा उनके घर से लाठी लेकर वापस बजरिया में आना, कृष्णा से गाली गलौंच करने पर पास की दुकान वाले प्रखर व पुनीत का आना, उसके बाद उनके द्वारा कृष्णा को छोडकर पुनीत व प्रखर के साथ डंडों से मारपीट किया जाना और दुकान में रखे सामान को लाठियों से तोड देना, सोहिल उर्फ काली द्वारा पुनीत के शरीर में लट्ठ की मारना, जिससे पुनीत का नीचे गिर जाना, आशिक उर्फ तबाही के द्वारा प्रखर के सिर में लट्ठ की मारना, जिससे प्रखर का सिर फूट जाना तथा उसका गिर जाना तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का युसुफ उर्फ बोबी उर्फ बच्चा की स्कूटी से भाग जाना तथा मारपीट की घटना में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का ही होना अन्य किसी चौथे लडके का नहीं होना कथित किया है।

केस डायरी तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यद्यपि घायल व्यक्तियों को आई चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई हैं, तथापि किसी घटना की गंभीरता का आकलन केवल चोटों की प्रकृति के आधार पर नहीं किया जा सकता। अभियोजन के आरोपों से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्तगण लाठियों से लैस होकर रात्रि लगभग 2:00 बजे शिकायतकर्ता के प्रतिष्ठान पर संगठित रूप से हमला करने पहुंचे। इस प्रकार का कृत्य कानून एवं लोक–व्यवस्था के प्रति घोर अवहेलना को दर्शाता है। ऐसे अपराधों का प्रभाव केवल प्रत्यक्ष पीड़ितों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करता है तथा सामान्य नागरिकों के मन में विधि के शासन के प्रति विश्वास को भी प्रभावित करता है। अनुसंधान के दौरान आरोपित अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(6) के अंतर्गत आरोप है, जिसके लिए चौदह वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है, जो इस अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। आरोपों की प्रकृति, अपराध किए जाने के तरीके, उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्यों तथा व्यापक सामाजिक हित को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का मत है कि वर्तमान स्तर पर अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **युसुफ उर्फ बोबी उर्फ बच्चा, आशिक उर्फ तबाही व सोहिल उर्फ काली** के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 BNSS अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(रेशमा खान)
लिंक अधिकारी
अपर सेशन न्यायाधीश सं.01, गंगापुर सिटी

आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(रेशमा खान)
लिंक अधिकारी
अपर सेशन न्यायाधीश सं.01, गंगापुर सिटी